

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, जिला- नैनीताल

संख्या: 336 / 05-X / 2022

दिनांक: 13.05.2022

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की मैस, हेतु खाद्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने हेतु व्यापार कर से पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों, थोक विक्रेताओं, सप्लायर फर्मों से मुहरबन्द पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकरण फार्म तथा नियम एवं शर्तें दिनांक 13.05.2022 को अपराहन 12:00 बजे से अकादमी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं अथवा अकादमी की वेबसाइट www.ujala.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। प्रपत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार पूर्ण रूप से भरे पंजीकरण आवेदन अकादमी में जमा करने की अन्तिम तिथि 31.05.2022 अपराहन 12:00 बजे है।

अध्यक्ष- क्रय समिति
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक
अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

**REGISTRATION OF SUPPLIERS FOR FOR SUPPLY OF
FOOD INGREDIENTS IN ACADEMY MESS YEAR 2022-2023**

Important Dates & Details

Sl. No.	Details	Date/Time
1.	Start of Issuing Registration Form	13.05.2022 12:00 PM
2.	Last Date & Time for Submission	31.05.2022 12:00 PM
3.	Date & Time of Opening of Registration Form	31.05.2022 03:00 PM
4.	Venue of Opening of Registration Form	Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Ghorakhal Road, Bhowali, District- Nainital
5.	Registration Form Fee (Non-refundable)	₹1,500
6.	Deposit Money (Refundable)	₹5,000
7.	Contact Details	Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, Nainital- 263132 Ph- 05942-221375

Registration form for supply of food items and ingredients and rules and regulation can be collected from the office of the Academy or may be may be downloaded from the website of the Academy www.ujala.uk.gov.in .

नियम एवं शर्तें

1. अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण की अवधि वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 01 मई, 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए मान्य है।
2. पंजीकरण आवेदन पत्र का मूल्य ₹ 1,500 (एक हजार पाँच सौ मात्र) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो “निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी” के नाम से जारी किया गया हो, तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, नैनीताल पर देय हो, पंजीकरण आवेदन खोलने की तिथि एवं समय तक अथवा इससे पूर्व, मूल रूप में अकादमी में जमा किया जाना अनिवार्य है। अकादमी मैस में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु आवश्यक नियम तथा आवेदन पत्र अकादमी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा अकादमी की वेब साईट www.ujala.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. पूर्ण रूप से भरे हुए पंजीकरण आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क के रूप में “निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी” के नाम जारी किया तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, नैनीताल पर देय मूल्य ₹1,500 (एक हजार पाँच सौ मात्र) बैंक ड्राफ्ट लगाया जाना होगा। इसके अतिरिक्त “निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी” के नाम जारी **₹5,000 (रूपये पाँच हजार) की धरोहर राशि को भी राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ0 डी0 आर0** के रूप में आवेदन के साथ संलग्न कर अकादमी कार्यालय में जमा किया जाना होगा, जिसकी वैधता जिसकी वैधता न्यूनतम दिनांक 15.04.2023 तक होनी अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. पंजीकरण आवेदन दिनांक 13.05.2022 को अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 31.05.2022 को अपरान्ह में 12:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर अकादमी कार्यालय में जमा की जा सकती है। पंजीकरण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2022 अपरान्ह 12:00 बजे तक है। पंजीकरण आवेदन दिनांक 31.05.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे खोले जायेंगे।
5. अकादमी द्वारा मैस की आवश्यकतानुसार वांछित (क) सूखी खाद्य सामग्री (ख) जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री की सूची पृथक-पृथक तैयार की गयी है, जिसमें अकादमी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता फर्म वर्णित सूची 'क' 'ख' दोनो अथवा दोनो में से किसी भी सूची हेतु स्वेच्छा से पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकती है।

6. आपूर्तिकर्ता फर्म का अपना पेन, आयकर प्रमाण-पत्र (आई.टी.आर. **acknowledgement**) एवं वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण दिये जाने हेतु इच्छुक फर्म का पिछले 02 वर्षों में न्यूनतम 10 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। टर्न ओवर से सम्बन्धित प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से प्रमाणित हो अनिवार्य होना चाहिए। आपूर्तिकर्ता फर्म के पास वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) सम्बन्धी पंजीकरण हो। उक्त के संबंध में समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।
7. पंजीकरण आवेदन के साथ धरोहर राशि ₹5,000 (रूपये पाँच हजार), राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0 के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बन्धक हो, मूल रूप में लगाई जानी अनिवार्य है, जिसकी वैधता न्यूनतम दिनांक 15.04.2023 तक होनी अनिवार्य है। धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर. पंजीकरण आवेदन खोलने की तिथि एवं समय अथवा इससे पूर्व, मूल रूप में अकादमी में जमा किया जाना अनिवार्य है।
8. खाद्य सामग्री की दरों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होने के कारण अकादमी द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों से, अकादमी मैस की आवश्यकतानुसार वांछित खाद्य सामग्री(क), की दरे सूखी खाद्य सामग्री यथा अनाज, दाले, मसाले इत्यादि के लिए प्रत्येक 04 माह के उपरान्त सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तथा (ख)जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री यथा दूध, दही, घी, सब्जी, फल, पनीर इत्यादि के लिए प्रत्येक 02 माह के उपरान्त सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जा जायेगी। सीमित निविदा प्रक्रिया की समयावधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। सामग्री की सूचियां केवल आवेदनकर्ता के सूचनार्थ हैं, दरें पंजीकरण होने के उपरान्त अकादमी द्वारा सूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त दी जानी होंगी।
9. अकादमी द्वारा वांछित खाद्य सामग्री की दरें सभी टैक्सों/सेवाओं की धनराशि को सम्मिलित करते हुए प्रेषित की जाय। खाद्य सामग्री की दरें बाजार में प्रचलित बाजार भाव से अधिक नहीं होनी चाहिये।
10. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आदर्श स्थिति में, अकादमी द्वारा निर्गत कार्यादेश प्राप्त किये जाने के उपरान्त 08 घंटे के भीतर वांछित खाद्य सामग्री सामग्री की आपूर्ति अकादमी में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यद्यपि, अपरिहार्य आपात स्थितियों आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा को सामग्री की आपूर्ति अकादमी मैस में 03 घंटे के भीतर की जायेगी।
11. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अकादमी को आपूर्ति की जाने वाली वांछित खाद्य सामग्री की Expiry Date कार्यादेश/आपूर्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 03 माह अतिरिक्त होनी चाहिये। आपूर्ति की जाने वाली समस्त सामग्री में Production date तथा

Expiry Date अंकित होना अनिवार्य हैं। किसी भी स्थिति में अकादमी को Expired सामग्री की आपूर्ति किये जाने की स्थिति में अकादमी विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, तथा अकादमी सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण सक्षम पूर्ति अधिकारी / खाद्य निरीक्षक से कराये जाने के लिए स्वतन्त्र होगी तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी होने पर फर्म द्वारा अकादमी के पक्ष में जमा धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

12. अकादमी द्वारा वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति अकादमी मैस तक किये जाने हेतु कोई अतिरिक्त शूलक/भाड़े का भुगतान अकादमी द्वारा नहीं किया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति अपने व्यय पर अकादमी में की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सामान की आपूर्ति के दौरान सामग्री को सावधानीपूर्वक अकादमी मैस में उतारना सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी सामग्री की टूट-फूट, खराब होने अथवा अकादमी को हुये नुकसान की भरपाई आपूर्तिकर्ता फर्म से की जायेगी।
13. आपूर्तिकर्ता फर्म को आदर्श स्थिति में वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा यद्यपि अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब हो सकता है। आपूर्तिकर्ता फर्म सुनिश्चित कर लें कि यदि अपरिहार्य कारणवश अकादमी स्तर से भुगतान में विलम्ब होता है, उस स्थिति में अकादमी को खाद्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।
14. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अकादमी को संलग्न सूची में उल्लिखित गुणवत्ता, ब्रांड की वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति समय पर न किये जाने अथवा असंतोषजनक होने पर संस्थान को किसी प्रकार की हानि होने पर जमानत राशि जब्त अथवा विनियोजित कर ली जायेगी।
15. फर्म को संलग्न सूची में अंकित ब्राण्ड की खाद्य सामग्री की आपूर्ति समय पर किया जाना अनिवार्य होगा।
16. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार धरोहर राशि, कार्यपूर्ति गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप इत्यादि, यथास्थिति की राशि ₹5,000 (रुपये पाँच हजार) की एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बंधक रखी जायेगी। धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 वैधता न्यूनतम दिनांक **15.04.2022 तक होनी अनिवार्य है**। कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन उपरान्त उक्त राशि फर्म को वापस कर दी जायेगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति

नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार उक्त धरोहर राशि, कार्यपूर्ति गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप, कार्यपूर्ति प्रतिभूति इत्यादि, यथास्थिति की राशि का अभिकलन अकादमी के द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधान अनुसार राशि अभिकलित करने का अकादमी का निर्णय अंतिम है।

17. अकादमी द्वारा पंजीकृत प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के उपरान्त वांछित खाद्य सामग्री की आपूर्ति के संबंध में उपरोक्त शर्तों के अनुसार किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अकादमी की आवश्यकता के अनुसार सेवाएं नहीं दिये जाने पर फर्म को कार्य से हटा दिया जायेगा तथा प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी और कार्य का अवसर दोबारा नहीं दिया जायेगा।
18. किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बरतने पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति का होगा।
19. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही है। किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के समस्त प्राविधान व सिद्धान्त अंतिम रूप से प्रभावी होंगे।
20. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म यदि पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहती है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करती है अथवा कोई गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करती है तो उसे आपूर्तिकर्ता की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।
21. आपूर्तिकर्ता फर्मों का पंजीकरण प्रथम बार 01 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा, जिसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्मों के कार्यों, आचरण, सेवाओं इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुये, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में विहित प्राविधानों के अधीन अधिकतम 02 वर्षों के लिये अकादमी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
22. अकादमी मैस के संचालन में प्रयुक्त होने वाली संभावित खाद्य सामग्री की सूची प्रपत्रों के साथ संलग्न है, जिसमें अकादमी की आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।
23. अकादमी द्वारा वांछित खाद्य ब्राण्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ब्राण्ड परिवर्तन हेतु मैस कमेटी अथवा अकादमी के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह भी सुनिश्चित कर लें कि खाने वाली सभी सामग्री ब्राण्डेड हों।

24. एम.एस.एम.ई. में पंजीकरण शुल्क, धरोहर राशि तथा कार्य अनुभव में पूर्ण छूट के दावे हेतु फर्म को भारत/प्रदेश सरकार के विभाग से उद्योग आधार (उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र) प्राप्त करना होगा तथा क्रय वरीयता नीति-2019 के अन्तर्गत उद्योग विभाग में पंजीकरण कराया जाना होगा।
25. किसी विवाद की स्थिति में अकादमी के निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम होगा ।

पंजीकरण प्रपत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल
खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पंजीकरण प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023

1. फर्म का नाम.....
.....
2. फर्म के स्वामी का नाम:.....
.....
3. फर्म का पता.....
.....
4. दूरभाष / मोबाईल संख्या..... ई-मेल.....
5. फर्म का आयकर पेन (PAN) संख्या.....
6. जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (अनिवार्य).....
7. पंजीकरण
(क) सूखी खाद्य सामग्री हेतु.....
(ख) जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री हेतु.....
(ग) अथवा 'क' 'ख' दोनों हेतु.....
8. पंजीकरण प्रकार एम0एस0एम0ई0अथवा सामान्य.....
9. पंजीकरण शुल्क का विवरण—
(अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम.....
.....
(ब) बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक.....
.....
(स) धनराशि.....
10. धरोहर धनराशि का विवरण—
(अ) राष्ट्रीकृत बैंक का नाम.....
.....
(ब) एफ0डी0आर0 संख्या एवं दिनांक.....
.....
(स) धनराशि.....
11. नियम एवं शर्तों में उल्लिखित वांछित प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाए।

12. राजकीय अधिष्ठानों/विभागों व अन्य संस्थाओं, निगमों इत्यादि स्थलों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति कार्य अनुभव का विवरण यदि कोई हो तो—

.....
13. अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हों)
.....
.....

.पंजीकरण आवेदन के साथ संलग्न सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं। किसी विवाद की स्थिति में अकादमी के निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम होगा जो मुझे मान्य होगा।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिनांक सहित एवं मुहर

(क) जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री की सूची—

सामग्री की सूचियां केवल आवेदनकर्ता के सूचनार्थ हैं, दरें पंजीकरण होने के उपरान्त अकादमी द्वारा सूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त दी जानी होंगी।

क्रम संख्या	सब्जियां	दरें रूपये में
1	आलू	प्रति कि.ग्रा.
2	प्याज	प्रति कि.ग्रा.
3	टमाटर	प्रति कि.ग्रा.
4	लौकी	प्रति कि.ग्रा.
5	बैंगन	प्रति कि.ग्रा.
6	कददू	प्रति कि.ग्रा.
7	भिन्डी	प्रति कि.ग्रा.
8	मटर फली	प्रति कि.ग्रा.
9	फ़ोजन मटर	प्रति कि.ग्रा.
10	सेम (Bean)	प्रति कि.ग्रा.
11	करेला	प्रति कि.ग्रा.
12	परवल	प्रति कि.ग्रा.
13	हरा धनिया	प्रति नग
14	हरी मिर्च	प्रति कि.ग्रा.
15	शिमला मिर्च	प्रति कि.ग्रा.
16	फूल गोभी	प्रति कि.ग्रा.
17	पत्तागोभी	प्रति कि.ग्रा.
18	मूली	प्रति कि.ग्रा.
19	गाजर	प्रति कि.ग्रा.
20	खीरा	प्रति कि.ग्रा.
21	अरबी	प्रति कि.ग्रा.
22	अदरक	प्रति कि.ग्रा.

23	लहसुन	प्रति कि.ग्रा.	
24	नीबू	प्रति कि.ग्रा.	
25	पूदीना	प्रति कि.ग्रा.	
26	गडरी	प्रति कि.ग्रा.	
27	हरा प्याज	प्रति कि.ग्रा.	
28	चूकन्दर	प्रति कि.ग्रा.	
हरी सब्जियाँ			
29	पालक,	प्रति नग	
30	लाई,	प्रति नग	
31	मेथी,	प्रति नग	
फल			
32	सेब	प्रति कि.ग्रा.	
33	केला	प्रति 12 नग	
34	अनार	प्रति कि.ग्रा.	
35	सन्तरा	प्रति कि.ग्रा.	
36	पपीता	प्रति कि.ग्रा.	
37	अंगूर	प्रति कि.ग्रा.	
38	किन्नु	प्रति कि.ग्रा.	
अन्य			
39	दही –आंचल	प्रति कि.ग्रा.	
40	दूध –आंचल	प्रति लीटर	
41	अमूल मक्खन	प्रति कि.ग्रा.	
42	पनीर –आंचल	प्रति कि.ग्रा.	
43	छॉछ– आंचल	प्रति 250 एम0एल	
44	ब्रैड जम्बो	जम्बो	
45	ब्रैड ब्रिटेनिया	500 ग्राम	
46	अण्डे	प्रति कॅरेट	

—

(ख) सूखी खाद्य सामग्री की सूची

सामग्री की सूचियां केवल आवेदनकर्ता के सूचनार्थ हैं, दरें पंजीकरण होने के उपरान्त अकादमी द्वारा सूचना निर्गत किये जाने के उपरान्त दी जानी होंगी।

क्र.सं.	खाद्य सामग्री का विवरण	मात्रा	दरें रूपये में
	(ब्रान्ड/ट्रेड मार्क/ग्रेड)		
1	आटा महावीर	20 कि.ग्रा.	
2	चावल (बासमती) एच. एम. (बिना पॉलिस के)	10 कि.ग्रा.	
3	चावल मोटा	01 कि.ग्रा.	
4	तेल रिफाइण्ड धारा	1 लीटर	
5	तेल रिफाइण्ड फॉर्चून	1 टिन	
6	तेल सरसों पंतजलि	1 लीटर	
7	तेल सरसों फॉर्चून 1 टिन	15 लीटर	
8	घी पंतजलि	प्रति कि.ग्रा.	
9	घी आँचल	प्रति कि.ग्रा.	
10	दाल अरहर	प्रति कि.ग्रा.	
11	दाल मल्का	प्रति कि.ग्रा.	
12	मसूर दाल	प्रति कि.ग्रा.	
13	काली मल्का	प्रति कि.ग्रा.	
14	काबुली चना मीडियम	प्रति कि.ग्रा.	
15	राजमा	प्रति कि.ग्रा.	
16	दाल चना	प्रति कि.ग्रा.	
17	उड़द दाल	प्रति कि.ग्रा.	
18	उड़द साबुत	प्रति कि.ग्रा.	
19	मूंग दाल धुली	प्रति कि.ग्रा.	
20	मूंग दाल	प्रति कि.ग्रा.	
21	बेसन –राजधानी	प्रति कि.ग्रा.	

22	सूजी	प्रति कि.ग्रा.	
23	नमक टाटा	प्रति कि.ग्रा.	
24	हल्दी पाउडर कैच	प्रति 200.ग्रा.	
25	मिर्च पाउडर कैच	प्रति 200.ग्रा.	
26	धनिया साबुत	प्रति 200.ग्रा.	
27	जीरा साबुत सादा	प्रति कि.ग्रा.	
28	सौंफ महीन	प्रति 200.ग्रा.	
29	काली मिर्च पाउडर कैच	प्रति 200.ग्रा.	
30	काजू	प्रति 250.ग्रा.	
31	बादाम	प्रति 250.ग्रा.	
32	मगज	प्रति 250.ग्रा.	
33	सिरका सफेद	प्रति लीटर	
34	चाय लिप्टन/ taza	प्रति कि.ग्रा.	
35	कॉफी पाउडर नेस्ले	प्रति 200.ग्रा.	
36	सांभर मसाला पाउडर कैच	प्रति 100 ग्रा.	
37	जैम किसान	प्रति 500 ग्राम.	
38	कार्नापलोर	500 ग्राम	
39	कार्नापलेक्स कैलोग्स	475 ग्राम	
40	सेवई	1 पैकेट	
41	मशरूम tin	800 ग्राम	
42	मिक्स अचार नीलोन्स	प्रति कि.ग्रा.	
43	टी-बैग 100 पैकेट	प्रति 100 पैकेट	
44	ग्रीन टी	500 ग्राम	
45	पापड LIJJAT	200 ग्राम	
46	शूगर क्यूब	400 ग्राम	
47	सोया सॉस	750 मिली	

48	कसूरी मैथी कैच	200 ग्राम	
49	भट्ट पहाड़ी	प्रति कि.ग्रा.	
50	लोबिया	प्रति कि.ग्रा.	
51	ब्रैड ब्रिटेनिया	500 ग्राम	
52	बेकिंग सोडा पाउडर	प्रति 100 .ग्रा.	
53	सोडा मीठा	प्रति 100 .ग्रा.	
54	हींग कैच	प्रति 100 .ग्रा.	
55	वेज मेयनीज सॉस डॉ. ओडकर	प्रति 100 .ग्रा.	
56	अमचूर पाउडर कैच	प्रति 100 .ग्रा.	
57	गरम मसाला कैच	प्रति 100 .ग्रा.	
58	रेड चिल्ली सॉस टॉप्स	प्रति 750 .ग्रा.	
59	पोहा	प्रति 500 .ग्रा.	
60	बिस्कुट डाइजेस्टिव ब्रिटेनिया	प्रति 250 .ग्रा.	
61	बिस्कुट मीठा ब्रिटेनिया	प्रति 250 .ग्रा.	
62	बिस्कुट नमकीन ब्रिटेनिया	प्रति 250 .ग्रा.	
63	नमकीन पैकिट मुंगदाल हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
64	नमकीन पैकिट नवरत्न हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
65	नमकीन पैकिट पंचरत्न हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
66	नमकीन पैकिट भुजिया हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
67	नमकीन पैकिट मिक्स हल्दीराम	प्रति 200 .ग्रा.	
68	सौंफ दाना (Super coated Saunf)	प्रति 250 .ग्रा.	
69	शहद	प्रति 250 .ग्रा.	
70	ईमली दाना	प्रति 200 ग्रा.	
71	ईनो	प्रति बोतल	
72	बड़ी इलायची	प्रति 50 ग्रा.	
73	बुंदी	प्रति 200 ग्रा.	

74	बतन धोने का जूना (प्लास्टिक)	प्रति नग	
75	बटन मशरूम	प्रति किलो	
76	कोकोनेट पाउडर	प्रति 250 ग्रा.	
77	कोकोनेट साबुत	प्रति कि.ग्रा.	
78	काजू साबुत	प्रति कि.ग्रा.	
79	काला नमक CATCH	प्रति किलो	
80	कडी पत्ता	प्रति 100 ग्रा.	
81	केवड़ा वाटर	प्रति 250 ग्रा.	
82	कलोंजी	प्रति 250 ग्रा.	
83	मक्का आटा	प्रति किलो	
84	मस्टर्ड पाउडर	प्रति 250 ग्रा.	
85	मडुवा आटा	प्रति किलो	
86	मुगफली दाना	प्रति कि.ग्रा.	
87	मैथी दाना	प्रति 200 ग्रा.	
88	किचन किंग	प्रति 250 ग्रा.	
89	मिक्स सब्जी मसाला	प्रति 200 ग्रा.	
90	मिल्क मेड	प्रति 250 ग्रा. /प्रति टिन	
91	पिस्ता	प्रति कि.ग्रा.	
92	रिच क्रीम	प्रति किलो	
93	सिल्वर फॉईल	प्रति किलो	
94	विनेगर	प्रति बोतल	
95	चिरोन्जी	प्रति 250 ग्रा.	
96	भंगीरा	प्रति किलो	
97	पास्ता	प्रति कि.ग्रा.	
98	रोस्टेड चना	प्रति कि.ग्रा.	
99	सरसों दाना (लाल)	प्रति 250 ग्रा.	

100	साबूदाना	प्रति 500 ग्रा.	
101	सौंठ पाउडर	प्रति 100 ग्रा.	
102	छोले मसाला	प्रति 100 ग्रा.	
103	दाल चीनी	प्रति 250 ग्रा.	
104	वर्तन धोने की स्टील जाली	प्रति नग	
105	वर्तन धोने का स्क्रबर	प्रति नग	
106	चीज slice	प्रति 250 ग्रा.	
107	फूड कलर	200 m l	
108	तेज पत्ता खुला हुआ	प्रति 100 ग्राम	
109	जख्या	प्रति 100 ग्राम	
110	जायफल स्टेन्डर्ड साइज	प्रति 100 ग्रा.	
111	जावित्री	प्रति 100 ग्रा.	
112	न्यूट्रीला	प्रति पैकेट	
113	नेपकीन (टिशू पेपर)	प्रति 50	
114	अंजीर	प्रति कि.ग्रा.	
115	अमूल क्रीम	प्रति 200 मिली	
116	अल्टिमेट डायमण्ड पीलिंग	प्रति किलो	
117	अजीनोमोटो	प्रति 250 ग्रा.	
118	अजवाईन	प्रति 200 ग्रा.	
119	गुलाब जामुन टिन	प्रति कि.ग्रा.	
120	लाल मिर्च साबुत	प्रति 250 ग्रा.	
121	फ्रेश क्रीम	प्रति किलो	
122	फ्रूड कोकटल	प्रति पैकेट	
123	फ्रूट सॉल्ट रेगुलर	200 ml	
124	क्लीयर फायल (Plastic Wrap)	प्रति 1.2 किलो	
125	गुलाब जामुन मिक्स पाउडर – एम टी आर	प्रति 200 ग्रा.	

126	टूथ पिक 100 स्टीक	100 स्टीक	
127	गुड	प्रति किलो	
128	चीनी	प्रति किलो	
129	मैदा	प्रति किलो	
130	धनिया पाउडर कैच	प्रति किलो	
131	लौंग	प्रति 100 ग्राम	
132	काली मिर्च साबुत	प्रति 100 ग्राम	
133	काजू टुकडा	प्रति किलो	
134	कश्मीरी मिर्च	प्रति 100 ग्राम	
135	किसान टोमेटो सॉस	प्रति किलो	
136	दलिया	प्रति किलो	
137	बास मिश्री	प्रति किलो	
138	साबुत चना (काला)	प्रति किग्रा	
139	बिम बार	प्रति 100 ग्राम	
140	बिम बार जैल (लैमन)	प्रति 155 मिली0	
141	अमूल आइसक्रीम (बटर स्कॉच)	750 एम0एल0	
142	चाट मसाला कैच	प्रति 100 ग्राम	
143	ग्रीन इलायची	प्रति 100 ग्राम	
144	Basil	प्रति 30 ग्राम	
145	Oregano	प्रति 30 ग्राम	
146	Sama pahadi rice	प्रति किलो	
147	Mineral Water Bottle (250 ml)	प्रति नग	
148	Mineral Water Bottle (500 ml)	प्रति नग	
149	Mineral Water Bottle (1000 ml)	प्रति नग	
150	कस्टर्ड पाउडर	प्रति 500 ग्राम	